

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाहीमदे इनिशियल्स जज

नम्  
अह  
हुक्  
में

24/2/15

वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 1/2/15 को पेश हों। हं

11/2/15

वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 3/3/15 को पेश हों। हं

25/3/15

वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 27/3/15 को पेश हों। हं

1/6/15

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभिज्ञान 2015 में पेश हुई। पत्रकारान् उपस्थित नहीं है। पत्रावली पूर्वानुसार दि० 26/8/15 को पेश हो। हं

26/8/15

वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 29/8/15 को पेश हों। हं

29/8/15

वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक... 9/9/15 को पेश हों। हं

9/9/15

वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 16/9/15 को पेश हों। हं

16/9/15

वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 30/9/15 को पेश हों। हं

30/9/15

वकील फरीकेन उप०/००० साहब अवकाश/दौर पर पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक 30/9/15 को पेश हों। हं

नु०	किस्म	ता०दायरा	तारीख निर्णय
39/10	दावा	06.09.10	30.09.15

प्रमो पुत्री मोती पत्नि रतनलाल जाति मीना निवासी थूमा हाल निवासी पहाड़पुरा तहसील सपोटरा जिला करौली(राज०) -वादीया  
बनाम

1. बाबू पुत्रान जुआरी जातिगण मीना निवासी थूमा त० सपोटरा जिला
2. सुमेर करौली।
3. काड़ी पुत्री जुआरी पत्नि सरदार मीना निवासी बंडापुरा तहसील करौली जिला करौली ।
4. बादामी पुत्री मोती पत्नि मूलचंद जाति मीना निवासी थूमा हालवासी किरवाड़ा तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
5. केसरो पत्नि मोती पत्नि भूरया जाति मीना निवासी गोठरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तह० सपोटरा जिला करौली।
7. उप पंजीयक सब रजिस्ट्रार तहसील कार्यालय सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-प्रतिवादीगण

**दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा**

उपस्थित:- श्री राजाराम मीना वकील वादीया।  
श्री श्यामप्रकाश गर्ग वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादीया इस प्रकार से है कि वादीया ने एक वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं० 36, 37, 55, 63, 104, 175, 178, 395, 395/552, 444, 446, 460, 495, 499 कुल किता 14 का कुल रकबा 22 बीघा 02 बिस्वा वाके ग्राम थूमा तहसील सपोटरा जो कि वादीया के पिता की खातेदारी की आराजीयात है। दिनांक 31.8.10 को वादीया ने तहसील कार्यालय सपोटरा से नकल जमाबंदी प्राप्त की तो वादीया का नाम उक्त आराजीयात में नहीं पाया गया। वादीया के पिता मोती की आराजीयात में गुलकंदी का नाम पाया गया जो कि वादीया के पिता के नातेप्रथा से जाने के बाद वादीया के पिता के भाई जुआरी के नातेप्रथा से बैठ गई। वादीया ने प्रतिवादीगण से वादीया के पिता की आराजीयात में से हिस्सा देने को कहा तो साफ इंकार हो गये। जमीन को लेने की कही तो जाने से मारने की धमकी देने लगे तथा आराजीयात को रहन वय करने पर आमादा है। इसलिए वादीया ने अपने पिता की आराजीयात में से हिस्सेनुसार घोषणा खातेदारी करने, राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम इन्द्राज कर गुलकंदी बेवा मोती को हजफ करते हुए गुलकंदी बेवा जुआरी दुरस्त कहे जाने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादीया दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण ने और से वकील ने उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया। वाद तथ्य, जवाब दावा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर किता 6 तनकीयात कायम की गई। वादीया ने अपने साक्ष्य में केवल स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है इसके अलावा कोई स्वतंत्र साक्ष्य पेश नहीं किये है। अपनी जिहह करवाने हेतु भी वादीया उपस्थित नहीं आई। वादीया ने कोई लिखित साक्ष्य भी पेश नहीं किये है। प्रतिवादीगण ने ना तो कोई लिखित साक्ष्य पेश की है और ना ही कोई लिखित साक्ष्य पेश की है इसलिए